

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025  
अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्रांक - न.नि. 50-32/2022 922

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह जिला  
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)  
पटना, रोहतास एवं पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक - 27.3.25

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 - नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरुपुर, कोचस,  
पकड़ीदयाल एवं मेहसी का मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरुपुर, कोचस, पकड़ीदयाल एवं मेहसी का आम निर्वाचन 2025 कराया जाना है। नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरुपुर, कोचस, पकड़ीदयाल एवं मेहसी का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरिके से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक है कि मतदान केन्द्रों की स्थापना आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो ताकि सभी कोटि के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 सहपठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 53(1) में निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् उद्धृत हैं:-

‘53. मतदान केन्द्र एवं पीठासीन तथा मतदान पदाधिकारी:- (1) राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) प्रत्येक वार्ड के लिये एक या अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना करेगा तथा इस तरह स्थापित मतदान केन्द्रों एवं वार्डों जिनके लिये वैसे मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, की सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट तरिके से प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्रों की सूची पर इसके अन्तिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण दृष्टि में लाये जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकेगा।’

3. नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरुपुर, कोचस, पकड़ीदयाल एवं मेहसी में वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने संबंधी निदेश आयोग के पत्रांक 696 दिनांक 11.03.2025 से निर्गत किये जा चुके हैं। विदित हो कि नगरनिकाय के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा के लिए तैयार अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर किया जा रहा है। अतः वार्ड-वार प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में

मतदाताओं की संख्या तथा अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में मामूली अन्तर आने की संभावना है। अतएव मतदाता सूची की तैयारी के साथ ही मतदान केन्द्रों की स्थापना के बारे में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए, ताकि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के तुरंत पश्चात मतदान केन्द्र-वार मतदाताओं को सम्बद्ध किया जा सके। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को यह हिदायत दे दी जानी चाहिए कि वे मतदान केन्द्र की स्थापना से संबंधित प्रारंभिक कार्रवाइयाँ, यथा, नगरपालिका के किस वार्ड में कितने मतदान केन्द्र की स्थापना की जायेगी, मतदान केन्द्र का स्थल, मतदान केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये जाने वाले मतदाताओं की संख्या आदि से संबंधित कार्य वार्डों में मतदाता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद शुरू कर दें।

4. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 53(1) के प्रावधानों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भलीभाँति विचार कर मतदान केन्द्र की स्थापना हेतु निम्न दिशा-निदेश दिए जाते हैं :-

**(क) वार्ड-वार मतदान केन्द्र की संख्या -**

(i) प्रत्येक मतदान केन्द्र में अधिकतम 1000 (एक हजार) मतदाता सम्बद्ध किये जायेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में मतदान केन्द्रवार मतदाता की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़े तो आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(ii) किसी मतदान केन्द्र विशेष के साथ मतदाताओं को इस प्रकार सम्बद्ध किया जायेगा ताकि एक विशेष स्थान/पता पर निवास करने वाले सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केन्द्र के साथ सम्बद्ध किया जा सके। उदाहरणस्वरूप, यह कोशिश रहेगी कि किसी विशेष स्थान में (बहुमंजिला आवासीय भवन आदि) निवास करने वाले मतदाताओं को यथासंभव एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध रखा जाये ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि उक्त स्थान पर निवास करने वाले सभी मतदाताओं को एक मतदान केन्द्र विशेष पर मतदान देने हेतु जाना है।

**(ख) मतदान केन्द्र का स्थल -**

(i) पूर्व के नगर निकाय चुनावों में यह पाया गया है कि विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र जिस भवन में स्थापित किया जाता रहा है उसके उपलब्ध रहने के बावजूद संबंधित वार्ड में उपलब्ध किसी अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है। आयोग की धारणा है मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिकोण से विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन हेतु बनाए गए मतदान केन्द्र को ही यथासंभव उक्त वार्ड के लिए भी मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए। यदि विशेष प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन के अवसर पर जिस भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं उससे भिन्न भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाता है तो उसका पूर्ण औचित्य/कारण संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्रों की सूची के अभियुक्ति कॉलम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अंकित कर मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा एवं आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात ही उसे मतदान केन्द्र के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ii) किसी विशेष मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं में से अधिक मतदाता जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उक्त मतदान केन्द्र की स्थापना यथासंभव उसी स्थान पर की जाये जो कि अधिक मतदाता निवास करने वाला स्थान के करीब है। जहाँ तक संभव है मतदान केन्द्र की स्थापना सरकारी/अर्द्ध-सरकारी भवनों (जिसमें स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन आदि शामिल है) में की जायेगी ताकि इन भवनों में उपलब्ध उपस्कर आदि उपयोग में लाया जा सके। शहरी क्षेत्र में निजी भवनों में मतदान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होगी। फिर भी विशेष परिस्थिति में यदि उस वार्ड में कोई उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी

भवन उपलब्ध नहीं है तो अत्यंत आवश्यक होने पर ही निजी भवनों में मतदान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है और इस स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी मतदान शुरू होने से 24 घंटा पहले ही उक्त निजी भवन को अधिग्रहण कर अपने कब्जे में ले लेंगे और इस प्रकार निजी भवन के चारों ओर 200 मीटर की दूरी का स्थान पीठासीन पदाधिकारी के नियन्त्रण में रहेगा।

निजी भवन में मतदान केन्द्र की स्थापना की स्थिति में भवन मालिक की लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी तथा उनका कोई भी कर्मचारी तथा व्यक्ति जिसका समर्थन या जिसकी सहानुभूति किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी से है, को मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द में जाने नहीं दिया जायेगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी या व्यक्ति यदि संबंधित मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाता है तो उन्हें सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) जहाँ तक संभव हो सके मतदान केन्द्र की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाये जो स्थायी हो ताकि भविष्य में भी इसे मतदान केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

(iv) मतदान केन्द्र की स्थापना इस प्रकार से की जायेगी ताकि किसी भी मतदाता को अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने हेतु सामान्यतः 1 (एक) किलो मीटर तक की ही दूरी तय करनी पड़े। आम तौर पर शहरी क्षेत्र में एक किलो मीटर की दूरी को सामान्य माना जायेगा। संभव है कि किसी वार्ड विशेष में मतदाता काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हों, तो उस स्थिति में मतदान केन्द्र की स्थापना इस प्रकार की जाये ताकि मतदाता को 2 (दो) किलो मीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।

(v) किसी वार्ड विशेष के लिए स्थापित मतदान केन्द्र संबंधित वार्ड की सीमा के अन्दर ही होगा। किसी भी परिस्थिति में वार्ड की परिसीमा के बाहर मतदान केन्द्र की स्थापना नहीं की जाएगी।

(vi) एक भवन में अधिकतम चार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है ताकि मतदान के दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं होने पाये। शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि किसी एक विशेष भवन में मतदान केन्द्र की संख्या सीमित रहे।

(vii) नितान्त आवश्यक होने पर तथा वार्ड में उपयुक्त सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निजी भवन के अभाव में मतदान केन्द्र की स्थापना अस्थायी ढाचा (टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स) में चलन्त मतदान केन्द्र के रूप में की जा सकती है। परन्तु शहरी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना क्षीण है और यथासंभव चलन्त मतदान केन्द्र स्थापित करने से बचा जाना चाहिए।

विदित हो कि वार्ड में सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवन नहीं रहने संबंधी स्थिति की जाँच एक जाँच दल द्वारा कराई जाय, जिसमें जिले के अपर समाहर्ता स्तर के दो वरीय पदाधिकारी एवं उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आयोग अपने स्तर से भी जाँच दल का गठन कर सकता है, परन्तु ऐसा दल फिर स्थानीय पदाधिकारियों की असफलता एवं अक्षमता के कारण कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगा।

(viii) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों या विवादित परिसरों में स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ग) मतदान केन्द्र का संख्यांकन - उपर्युक्त तरीके से वार्ड-वार स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्रों का क्रमानुसार संख्यांकन इस प्रकार किया जायेगा :-

(i) नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए संख्यांकन 1 से प्रारंभ होकर जितने मतदान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी उतनी संख्या तक संख्यांकन किया जायेगा। चूँकि प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान केन्द्र का संख्यांकन 1 से शुरू होगा इसलिए किसी प्रकार का भ्रम (confusion) नहीं होने पाये इसके लिए आवश्यक है कि मतदान केन्द्र को आवंटित संख्या के साथ संबंधित वार्ड संख्या भी अंकित किया जाये ताकि आम जनता को यह स्पष्ट हो जाये कि संबंधित मतदान केन्द्र कौन वार्ड का है।

(ii) उदाहरणस्वरूप, मान लिया जाये "क" नगरपालिका में कुल 7 (सात) वार्ड हैं तथा वार्ड संख्या 1 में तीन मतदान केन्द्र की स्थापना की जानी है तो उस स्थिति में "क" नगरपालिका के वार्ड संख्या-1 में स्थापित तीन मतदान केन्द्र का संख्यांकन क्रमशः 1/1, 1/2 एवं 1/3 होगा। मान लिया जाये "क" नगरपालिका के वार्ड संख्या -5 में चार मतदान केन्द्र हैं, तो उस स्थिति में वार्ड संख्या 5 के मतदान केन्द्र का संख्यांकन 5/1, 5/2, 5/3 एवं 5/4 के रूप में किया जायेगा।

(घ) मतदान केन्द्र की बनावट -

(i) मतदान केन्द्रों की स्थापना ऐसे हॉल/कमरा में की जायेगी जिसकी बनावट आदि समुचित प्रकार की हों और हॉल/कमरा में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो तथा भवन के अन्दर आने जाने के लिए अलग प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था हो या आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सके। अर्थात्, जिस हॉल/कमरा में मतदान केन्द्र की स्थापना की जायेगी, उसमें जाने के लिए तथा वहाँ से निकलने के लिए अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था पहले से है या उसका एकमात्र दरवाजा इस प्रकार है कि उसमें कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार एक ही हॉल के लिए पुरुष एवं महिला मतदाता होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुरुष एवं महिला मतदाता अलग-अलग पंक्ति में रहकर बारी-बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(ii) मतदान केन्द्र स्थापना के क्रम में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है :-

- पेयजल
- शौचालय,
- रैम्प,
- शेड,
- फर्निचर,
- विद्युत आपूर्ति
- सुगम पथ आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं, खास कर महिला एवं दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो। मतदान केन्द्र तक सुरक्षा बलों/ आरक्षी बलों को पहुँचने हेतु सुगम पथ उपलब्ध होना चाहिए ताकि विधि व्यवस्था के किसी भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। संकरे पथ में तथा भीड़-भाड़ वाली जगह में मतदान केन्द्र स्थापित करने से यथासंभव बचा जाना चाहिए।

(iii) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मतदान केन्द्र की स्थापना करते समय मतदान केन्द्र पर विद्युत व्यवस्था की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देंगे ताकि मतदान तिथि को Facial Recognition System में उपयोग किये जाने वाले उपकरण को आवश्यकता पड़ने पर चार्ज किया जा सके एवं मतदाताओं का FRS निर्बाध गति से संचालित हो सके।

(iv) मतदान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव बनाने के पूर्व सक्षम अधिकारियों द्वारा उसका शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। सत्यापन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लेना है कि भवन दुरुस्त स्थिति में है तथा वहाँ बुनियादी सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, रैम्प, शेड एवं मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान इत्यादि उपलब्ध हैं।

(ड) कमजोर वर्ग के मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना -

(i) कमजोर वर्ग/शहर के सफाई कर्मियों के मुहल्ले/क्षेत्रों अथवा मलिन बस्तियों (Slum Area) में ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की सुविधा हेतु एक अतिरिक्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जायेगी, चाहे वहाँ पर उनकी आबादी 250 अथवा उसके आसपास ही क्यों न हो। जिलों से आने वाले प्रस्ताव में ऐसे मतदान केन्द्र संख्या एवं स्थापना का उल्लेख किया जायेगा एवं प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि ऐसे सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदान केन्द्र की स्थापना कर दी गई है।

(ii) कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए आवश्यकतानुसार उनके निवास स्थान के पास मतदान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। यदि ऐसे मोहल्ले या क्षेत्रों में कोई उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार के मतदाताओं के लिए चलन्त मतदान केन्द्र की भी स्थापना की जा सकती है। आम तौर पर कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए ऐसे स्थान पर मतदान केन्द्र की स्थापना की जाय जहाँ इस वर्ग के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र ऐसी जगह पर हो जहाँ इस वर्ग के लोग आम दिनों में भी बिना भय के जाते रहें हो।

(iii) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूर्व निर्वाचन में जो भी मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, उनमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई या बूथ लूट अथवा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को जबरन मतदान करने से रोकने संबंधी कोई घटना घटित नहीं हुई हो। अगर ऐसी घटनायें हुई हों तो जहाँ तक संभव हो ऐसे जगहों को मतदान केन्द्र की स्थापना नहीं की जाय और ऐसे मतदान केन्द्र को और सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किया जाय।

(च) कुष्ठ रोग से आक्रांत विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना - यह संभव है कि नगरपालिका क्षेत्र में कुष्ठ रोग से आक्रान्त व्यक्तियों के लिए कोई आरोग्यशाला की स्थापना की गई हो और उसमें कुष्ठ रोग से आक्रान्त मतदाता भी हों तो उस स्थिति में उक्त आरोग्यशाला में निवास करने वाले मतदाताओं के लिए सम्पूर्ण रूप से अलग मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त आरोग्यशाला में की जा सकती है और उस स्थिति में आरोग्यशाला के चिकित्सक या अन्य कर्मचारियों को पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(छ) एक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 30 (तीस) वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए ताकि मतदाता को पंक्तिबद्ध होकर मतदान करने में असुविधा नहीं हो। जैसाकि ऊपर कंडिका -4(घ) में स्पष्ट किया गया है, जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी।

5. मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव/प्रारूप तैयार करने के क्रम में "क्या करें" "क्या न करें" :-

नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरपुर, कोचस, पकड़ीदयाल एवं मेहसी के मतदान केन्द्र की स्थापना

करने के संबंध में कंडिका 4 में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में मतदान केन्द्र गठन का प्रस्ताव/प्रारूप तैयार करने के क्रम में "क्या करें/क्या न करें" संबंधी निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है:-

**क- क्या करें -**

- (i) मतदाताओं को अनावश्यक रूप से अधिक दूर तक न चलना पड़े इसलिए मतदान केन्द्र की स्थापना इस प्रकार की जाए की मतदाता को मतदान करने हेतु अधिकतम एक किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े तथा किसी विशेष परिस्थिति में 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े।
- (ii) मतदान केन्द्र नगर निकाय के संबंधित वार्ड में अवस्थित सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक भवन में ही यथासंभव स्थापित किया जाए।
- (iii) विधान सभा निर्वाचन के निमित्त बनाये गये मतदान केन्द्र में ही यथासंभव मतदान केन्द्र की स्थापना किया जाए।
- (iv) वार्ड में उपयुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन नहीं होने की स्थिति में ही विशेष परिस्थिति में मतदान केन्द्र निजी भवन में अथवा चलंत मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित की जा सकती है।
- (v) वार्ड में उपलब्ध सरकारी जमीन (खाता, खेसरा अंकित रहेगा) पर ही चलंत मतदान केन्द्र की स्थापना की जाए।
- (vi) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः तीस वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए।
- (vii) मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
- (viii) हॉल/कमरे में एकमात्र दरवाजा होने की स्थिति में कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (ix) पूर्व के हिंसा संबंधित घटनाओं और वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने के आधार पर यथा संभव उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन वर्गों के मतदाताओं के लिए भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में चलंत मतदान केन्द्र की स्थापना की जाए।
- (x) किसी वार्ड में मतदान केन्द्र बनने की अर्हता रखने वाले यदि एक से अधिक भवन हैं तो प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के आवासीय क्षेत्र में पड़ने वाले भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाय।
- (xi) मतदान केन्द्र पर आवश्यक मुलभूत सुविधाएँ यथा - पेयजल, शौचालय, रैम्प, शेड, फर्निचर, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

**ख- क्या न करें -**

- (i) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी परिस्थिति में नगर निकाय के वार्ड से बाहर दूसरे वार्ड में मतदान केन्द्र नहीं बनाए जाए।
- (iii) किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।

- (iv) एक मतदान भवन में 4 से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना नहीं की जायेगी।
- (v) सामान्यतः निजी भवनो या परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।
- (vi) मतदान केन्द्र पर पूर्व के निर्वाचन में कोई हिंसात्मक घटना या बुथ लूट अथवा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने संबंधी कोई घटना घटित होने पर यथासम्भव ऐसी जगह को मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित नहीं किया जाए।
- (vii) मतदान केन्द्र का पहुँच पथ संकरा नहीं होना चाहिए।

**6. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रपत्र A में प्रारूप प्रकाशन :-**

(i) नगर निकायों के निर्वाचन हेतु वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन कर विभिन्न नगरनिकायों के लिए प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है, एवं इसे आयोग के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जा रहा है। आयोग चाहता है कि मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का संबंधन उनके मतदान केन्द्रों से कर दिया जाये, ताकि संबंधित मतदाता अपने मतदान केन्द्र के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसा करने से एक वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर उस वार्ड की पूरी मतदाता सूची भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि वार्ड की मतदाता सूची का सिर्फ उतना ही भाग एक मतदान केन्द्र पर भेजा जायेगा जिन मतदाताओं का संबंधन उस मतदान केन्द्र से किया गया है। जिन वार्डों में एक ही मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, किन्तु जिन वार्डों में एक से ज्यादा मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है वहाँ पर मतदाताओं का संबंधन मतदान केन्द्रवार करने से निर्वाचन संचालन में सुविधा होगी एवं मतदाताओं को भी सहूलियत होगी। सभी सूचनाएँ प्रपत्र-A में भरकर वार्ड-वार तैयार मतदाता सूची को मतदान केन्द्रवार सम्बंधन किया जायेगा।

(ii) प्रपत्र A में मतदान केन्द्र की सूची तैयार करने में सावधानी बरती जानी है। इस हेतु संलग्न प्रपत्र-A में आवश्यक प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से की जायेगी :-

- स्तम्भ-1 में 1 से प्रारम्भ होकर लगातार क्रम संख्या अंकित की जाएगी। उदाहरणस्वरूप, किसी वार्ड में यदि 5 (पाँच) मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं तो उस स्थिति में स्तम्भ-1 में क्रम संख्या 1 से 5 तक अंकित किया जायेगा।
- स्तम्भ-2 में ऊपर कंडिका-4 की उप-कंडिका (ग)(ii) में दिये गये प्रक्रियानुसार मतदान केन्द्रों को आवंटित संख्या का उल्लेख किया जायेगा।
- स्तम्भ-3 में मतदान केन्द्र जिस भवन एवं स्थल पर स्थापित किया गया है, उसका पता का उल्लेख किया जायेगा।
- स्तम्भ-4 में मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदान क्षेत्र का उल्लेख किया जायेगा जिसमें मुहल्ला/गली आदि रहेगा।
- स्तम्भ-5 में मतदाता सूची की क्रम संख्याएँ जो इस मतदान केन्द्र से सम्बद्ध हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा।
- स्तम्भ-6 में इस मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं की कुल संख्या का उल्लेख किया जायेगा।
- स्तम्भ-7 में मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए अधिकतम दूरी (किलो मीटर में) का उल्लेख किया जायेगा।
- स्तम्भ-8 "अभ्युक्ति" में विशेष परिस्थिति, अगर कोई हो, का उल्लेख किया जायेगा।

संलग्न प्रपत्र के निचले भाग में चार क्रमांक दिये गये हैं, जिनके सामने प्रविष्टि निम्न प्रकार की जायेगी:-

- क्रमांक - 1 में संबंधित वार्ड के कुल मतदाताओं की संख्या अंकित की जायेगी।
- क्रमांक - 2 में संबंधित वार्ड में कितने मतदान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है, का उल्लेख किया जायेगा।
- क्रमांक-3 में वार्ड में प्रस्तावित मतदान केन्द्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र के साथ सम्बद्ध औसत मतदाता की संख्या अंकित की जायेगी।
- क्रमांक-4 में भवनों, जिनमें संबंधित वार्ड में स्थापित सभी मतदान केन्द्र अवस्थित है, की कुल संख्या अंकित की जायेगी।

(iii) इस कार्य हेतु एक सॉफ्टवेयर आयोग द्वारा वेबसाईट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र- A में प्रत्येक वार्ड में स्थापित मतदान केन्द्रों के संबंध में आवश्यक सूचनाएँ दर्ज कर उपलब्ध कराये गये उक्त सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि की जायेगी। Polling Station Entry & Voter split use manual संलग्न कर भेजा जा रहा है। इस तरह जिला द्वारा की गई प्रविष्टि की जाँच आयोग द्वारा की जायेगी ताकि जानकारी मिल सके कि वार्ड के सभी मतदाता मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध हो चुके हैं एवं वार्ड का कोई भी मतदाता वार्ड के दो मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध नहीं हो सका है। आयोग द्वारा जाँच सम्पन्न हो जाने के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा मतदान केन्द्रों के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का मतदान केन्द्रवार प्रकाशन किया जायेगा।

(iv) आयोग द्वारा संसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को मतदान केन्द्रों की सम्पूर्ण सूची का प्रपत्र A में वार्डवार प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। वार्डवार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र A को आम नागरिकों के निरीक्षण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय के सूचना पट, संबंधित नगर निकाय कार्यालय के सूचना पट, नगर निकाय के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट, वार्ड में स्थित डाकघर, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी जगह चिपकाया जायेगा, ताकि उसकी जानकारी आम जनता को आसानी से हो जाये। इस क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :-

(क) प्रारूप प्रकाशन की अवधि :-

उपर्युक्त विधि से प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची 14 दिनों तक प्रकाशन में रहेगी तथा इस अवधि में मतदान केन्द्रों में संशोधन हेतु दावा-आपत्ति प्राप्त की जायेगी।

(ख) दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु पदाधिकारी को प्राधिकृत करना :-

(i) प्रारूप मतदान केन्द्र की सूची पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने के क्रम में जनसामान्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर यथा नगर निकाय के वार्ड/अनुमण्डल/जिला स्तर पर दावा या आपत्ति प्राप्त करने के लिए एक पदाधिकारी को नामित किया जायेगा। ऐसे नामित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम कार्यालय में सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि सर्वसाधारण को जानकारी हो कि दावा-आपत्ति किसे देना है।

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में वार्डवार दावा-आपत्ति प्राप्त करने हेतु रिवाइजिंग अथॉरिटी की प्रतिनियुक्ति की गई है, उसी तरह मतदान केन्द्र के प्रारूप सूची पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने हेतु वार्डवार पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाय।

(ii) प्रत्येक स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक पंजी संधारित किया जायेगा जिसमें दावा-आपत्तियों की विवरणी अंकित की जायेगी। दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए चिन्हित स्थानों पर कार्यालय अवधि में संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाये जो प्राप्त दाव-आपत्तियों को एक पंजी में संधारित करेंगे और आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद अवश्य देंगे।

(ग) प्रारूप-प्रकाशन का व्यापक प्रचार -

प्रारूप प्रकाशन के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाय। जिन स्थानों पर साप्ताहिक हाट-बाजार लगते हों, वहाँ ढोल पीटकर निम्नांकित सूचनाओं का प्रचार कराया जाय :-

- (i) प्रकाशन की तिथि;
- (ii) स्थानों का नाम जहाँ निरीक्षण हेतु मतदान केन्द्रों की सूची रखी गयी है;
- (iii) दावा-आपत्ति देने की अंतिम तिथि;
- (iv) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का ब्योरा (नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम) जिनके पास आपत्तियाँ दी जा सकेंगी।

(घ) प्रारूप प्रकाशन अवधि में दिये गये आपत्तियों का निष्पादन -

- (i) प्रारूप प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावा-आपत्तियों का निष्पादन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत सक्षम एवं वरीय पदाधिकारी से कराया जाय।
- (ii) अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी को इस कार्य हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाय।
- (iii) दावा-आपत्ति की जाँच/ सुनवाई/ निष्पादन के क्रम में आवेदक को उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाए तथा उनका पक्ष भी सुना जाए।
- (iv) प्राप्त दावा-आपत्ति के आलोक में आवश्यकतानुसार स्थलीय जाँच की जाए और आवेदक को उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाए।
- (v) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए छोटी से छोटी शिकायतों का भी निष्पादन तत्परतापूर्वक एवं पूर्ण रूप से किया जाय।
- (vi) प्राप्त दावा-आपत्ति का निष्पादन के क्रम में अंकित आदेश तथ्यपरक एवं तार्किक होना चाहिए।
- (vii) मतदान केन्द्रों के गठन के विरुद्ध अनेकों परिवाद आयोग कार्यालय को प्राप्त होते हैं, जिसे जिला पदाधिकारियों को जाँच हेतु प्रेषित किया जाता है, परन्तु आयोग कार्यालय को जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मतदान केन्द्र के अनुमोदन के समय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) आयोग से प्राप्त मतदान केन्द्रों के गठन से संबंधित परिवाद का शत प्रतिशत जाँच कराते हुए निष्पादित कर लें एवं जाँच प्रतिवेदन आयोग को ससमय भेजें।

(ङ) प्राप्त दावा/आपत्तियों को "समाधान" पोर्टल पर अपलोड किया जाना :-

आयोग नगर पंचायत नौबतपुर, विक्रम, खुसरपुर, कोचस, पकड़ीदयाल एवं मेहसी के आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने हेतु कृत संकल्प है। अतः मतदान केन्द्रों की सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत किसी भी स्रोत से जिले में प्राप्त सभी दावा/आपत्तियों को आयोग के वेबसाइट [www.sec.bihar.gov.in](http://www.sec.bihar.gov.in) पर उपलब्ध "समाधान" पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड कर दिया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रत्येक दावा/आपत्ति का गुणवत्तापूर्ण जाँच प्रतिवेदन भी "समाधान" पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त "समाधान" पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त दावा/आपत्तियों का भी निश्चित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन संबंधित जिला द्वारा किया जायेगा।

"समाधान" पोर्टल के माध्यम से दावा/आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का सतत अनुश्रवण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(च) आपत्तियों के निष्पादन के बाद संशोधित सूची की तैयारी -

मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात यदि कोई संशोधन प्रस्तावित है तो उन सबों को मिलाकर सम्पूर्ण संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची तैयार की जायेगी।

7. राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन -

ऊपर दिये गये निदेशों के अनुसार संशोधित/परिवर्तित मतदान केन्द्रों सहित संबंधित नगर निकाय के मतदान केन्द्रों की सम्पूर्ण सूची संलग्न कार्यक्रम के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र-A में पूर्ण औचित्य के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से भेजा जाए। यदि किसी कारणवश उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है तो यह ध्यान रखना है कि वह पदाधिकारी आयोग द्वारा जाँच के क्रम में उठाये गये आपत्ति अथवा पृच्छा का निराकरण करने में समर्थ हों।

मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी अंतिम प्रस्ताव के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निम्नांकित प्रमाण-पत्र भेजना आवश्यक है :-

- (i) किसी मतदान केन्द्र के साथ 1000 से अधिक मतदाता सम्बद्ध नहीं किये गये हैं।
- (ii) मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधित वार्ड की सीमा क्षेत्रान्तर्गत किया गया है।
- (iii) मतदान केन्द्र की स्थापना सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में की गई है तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही चलित मतदान केन्द्र या अधिग्रहित भवनों/परिसरों में मतदान केन्द्र की स्थापना की गयी है।
- (iv) किसी मतदान केन्द्र की स्थापना अस्पताल/डिस्पेन्सरी/धार्मिक स्थल/विवादित स्थल पर नहीं की गई है।
- (v) किसी भी मतदान केन्द्र से संबद्ध मतदाताओं को मतदान केन्द्र स्थल तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
- (vi) कमजोर वर्ग/शहर के सफाई कर्मियों के मुहल्ले/क्षेत्रों अथवा मलिन बस्तियों (Slum Area) में ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार उनके निवास स्थान के पास एक अतिरिक्त मतदान केन्द्र की स्थापना की गई है।
- (vii) मतदान केन्द्र की स्थापना के विरुद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों का निराकरण जाँचोपरांत कर लिया गया है।

नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में सर्वसाधारण से अनेक अभ्यावेदन आयोग स्तर पर तथा जिला स्तर पर प्राप्त हो सकते हैं। उक्त अभ्यावेदनों का सम्यक् निस्तार करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। आयोग से अनुमोदन प्राप्त करते समय आयोग से भेजे गये परिवाद पत्रों के निस्तार संबंधी प्रतिवेदन आदेश भी संलग्न होना चाहिये।

आयोग के अनुमोदन के पश्चात सम्पूर्ण मतदान केन्द्रों की सूची प्रपत्र-A में तैयार कर अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जायेगा। विदित हो कि मतदान केन्द्र की सूची का प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन प्रपत्र A में किया जाएगा।

आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि नगरपालिका के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा किसी भी त्रुटि के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पूर्णरूपेण उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अतः आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर पर पर्याप्त सतर्कता बरतें तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र की स्थापना के औचित्य को भली-भाँति परख कर ही आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजें।


स्पष्ट किया जाता है कि आयोग से बिना अनुमोदन प्राप्त किये अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदान केन्द्रों की मान्यता आयोग द्वारा नहीं दी जायेगी तथा निदेश की अवहेलना की स्थिति में दोषी/ उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

आयोग का निर्णय है कि मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन एवं अन्तिम प्रकाशन को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

8. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तिम मतदान केन्द्रों की सूची को कंडिका 6 (iv) में अंकित स्थानों पर आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जायेगा।
9. मतदान केन्द्रों के स्थानों का चिह्नीकरण, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन आदि से संबंधित कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।
10. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 448(1) के तहत राज्य के भीतर निर्वाचन के संबंध में मतदान केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाये जाने वाले परिसर का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 448 (10) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभाग की अधिसूचना संख्या 365 दिनांक 01.02.2012 से बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 448 (निर्वाचन कार्य हेतु परिसर) की उप धारा (1) से (9) तक के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को यह शक्ति प्रदत्त की गई है। (प्रतिलिपि संलग्न)
11. मतदाता सूची की तरह मतदान केन्द्रों की सूची का मुद्रण भी संबंधित नगरपालिका द्वारा कराया जाएगा एवं इस पर आने वाले व्यय का वहन भी किया जाएगा। इस प्रकार मुद्रित मतदाता सूची/मतदान केन्द्रों की सूची की प्रतियाँ आम जनता को बिक्री की जाएगी। बिक्री से प्राप्त आय संबंधित नगरपालिका के खाते में जमा कर दी जाएगी।
12. निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों एवं संलग्न कैलेंडर/कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना के बारे में आवश्यक सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक : यथोक्त


विश्वासभाजन,

  
सचिव।

ज्ञापांक- न.नि. 50-32/2022 922

पटना, दिनांक - 27-3-22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक- न.नि. 50-32/2022 922

पटना, दिनांक - 27.3.25

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक- न.नि. 50-32/2022 922

पटना, दिनांक - 27.3.25

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त पटना एवं तिरहुत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे भी अपने स्तर पर जब भी निर्वाचन संबंधित कार्यों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करें, तो यह भी देख लें कि निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

  
सचिव।

## नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025

### मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं मतदाताओं का उससे संबंधन संबंधी कार्यक्रम

1. मतदान केन्द्रों के स्थान का चिह्नितीकरण, भौतिक सत्यापन एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं के संबंधन का सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि - 11.04.2025 से 17.04.2025 तक
2. मतदान केन्द्रों की सूची (प्रपत्र - A) का प्रारूप का प्रकाशन - 21.04.2025
3. मतदान केन्द्रों की सूची (प्रपत्र - A) का प्रारूप का प्रकाशन की अवधि एवं दावा आपत्ति की प्राप्ति - 21.04.2025 से 05.05.2025 तक
4. प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन एवं तदनुसार प्रारूप सूची में संशोधन - 24.04.2025 से 10.05.2025 तक
5. प्रपत्र - A (मतदान केन्द्र की सूची) पर आयोग का अनुमोदन - 13.05.2025 से 19.05.2025 तक
6. मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का अंतिम प्रकाशन - 23.05.2025 तक
7. मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का मुद्रण - 30.05.2025 तक

**प्रपत्र - A**  
**मतदान केन्द्रों की सूची**

क्रमांक	मतदान केन्द्र संख्या	भवन एवं स्थल जहाँ मतदान केन्द्र अवस्थित है (पता)	मतदान केन्द्र का विस्तार (मुहल्ला/गली आदि)	संबद्ध मतदाताओं की क्रम संख्या	संबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या	वार्ड संख्या -	
						मतदान केन्द्र जाने हेतु अधिकतम दूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

1. वार्ड के कुल मतदाताओं की संख्या -
2. वार्ड के लिए प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की संख्या -
3. प्रति मतदान केन्द्र से सम्बद्ध औसत मतदाताओं की संख्या -
4. भवनों, जिनमें मतदान केन्द्र अवस्थित है, की कुल संख्या -

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) का हस्ताक्षर

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-4 (न) निर्वा-2/06 365 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक:-  
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-448 (10) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (नगर निकाय) को उक्त अधिनियम की धारा-448 की उपधारा (1) से (9) तक के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु, जिनका प्रयोग एवं निर्वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है, निर्देश देती है। यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(अरविन्द कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 1/2/12

ज्ञापांक- 365 /न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. उनसे अनुरोध है कि कृपया प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 1/2/12

ज्ञापांक- 365 /न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 1/2/12

ज्ञापांक- 365 /न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निकाय)/सभी उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 1/2/12

ज्ञापांक- 365 /न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान परिषद पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 1/2/12

ज्ञापांक- 365 /न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सोन भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

